

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(गुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 16(1)साप्र/2/2022

जयपुर, दिनांक : 05.11.2024


-: आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरीयतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:-

क्र.स.	वरीयता संख्या	नाम व पदनाम	सेवानिवृति दिनांक	आवंटित आवास संख्या
1.	165/2014	श्री धर्मवीर कुम्हार वरिष्ठ लिपिक मीडिया सलाहकार, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।	31.01.2041	एफ-927, गांधीनगर (नया नं. 4/146)
2.	157/2020	श्री जगमोहन मीना लिपिक ग्रेड-1 जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2055	एफ-928, गांधीनगर (नया नं. 4/147)
3.	169/2014	श्री मुकेश मीना हिन्दी आशुलिपिक, (संस्थापक शाखा) जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर।	30.09.2048	एफ-981, गांधीनगर (नया नं. 4/168)
4.	170/2014	श्री अजय कुमार फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.03.2037	एफ-982, गांधीनगर (नया नं. 4/169)
5.	171/2014	श्रीमती प्रभावती सोनी, फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	30.09.2043	4/26, गांधीनगर
6.	163/2020	सुश्री पिकी प्रजापत लिपिक ग्रेड-1 जन अभाव अभियोग विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	31.07.2052	4/36, गांधीनगर
7.	172/2014	श्रीमती दीपिका योगी फार्मासिस्ट अति. प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.12.2044	4/51, गांधीनगर
8.	173/2014	श्रीमती रीटा माथुर, लैब टेक्नीशियन एस.एम.एस. अस्पताल, जयपुर।	30.06.2032	4/78, गांधीनगर
9.	174/2014	श्री प्रमोद कंवरिया, वरिष्ठ लिपिक अधीक्षण अभियंता (जिला वृत्त) जन. स्वा. अभि. विभाग गांधीनगर जयपुर।	31.07.2036	4/81, गांधीनगर
10.	164/2020	सुश्री जूही अडवानी लिपिक ग्रेड-1 महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.09.2053	4/95, गांधीनगर
11.	176/2014	श्री कैलाशचंद मीना वरिष्ठ लिपिक अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड द्वितीय (उत्तर) मिन्त्रीखाना जयपुर।	31.07.2029	4/96, गांधीनगर
12.	177/2014	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, स्टोर मुंशी सहायक अभियंता जन स्वा. विभाग उपखण्ड द्वितीय जयपुर, आमेर।	31.07.2029	4/96, गांधीनगर

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2024.11.05 15:53:45 IST
Reason: Approved



13.	178/2014	सुश्री वन्दना शर्मा, सर्वेयर खान एवं भूविज्ञान चौमू हाउस जयपुर ।	30.04.2053	4/107, गांधीनगर
14.	165/2020	श्री पवन मीना लिपिक ग्रेड-1 महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।	30.06.2052	4/109, गांधीनगर
15.	180/2014	श्री नीरज डण्डोटिया कनिष्ठ लिपिक अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट सं. 23 जयपुर महानगर, जयपुर ।	31.08.2041	4/127, गांधीनगर
16.	181/2014	श्री महेन्द्र सिंह कनिष्ठ लिपिक पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ।	31.07.2031	4/134, गांधीनगर
17.	182/2014	श्री त्रिलोकचन्द शर्मा वरिष्ठ लिपिक, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर ।	31.12.2025	4/137, गांधीनगर
18.	166/2020	श्री रामरतन मीना लिपिक ग्रेड-1 महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।	31.12.2054	4/138, गांधीनगर
19.	183/2014	श्री हनुमंत सिंह नाथावत कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, राजस्थान जयपुर ।	31.03.2045	4/142, गांधीनगर (पुराना नं. एफ-923)
20.	184/2014	श्रीमती सन्नू कुमारी जाट, नर्स ग्रेड-1 कार्यालय अधीक्षक, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर ।	31.07.2047	4/148, गांधीनगर (पुराना नं. एफ-929)

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 कार्य दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2024.11.05 15:53:45 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महानिरीक्षक, कार्यालय महानिरीक्षक पुलिस-मुख्यालय, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें
2. पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें
3. जिला कलक्टर, जयपुर ।
4. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें
5. प्रभारी अधिकारी (संस्थापक), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर/अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट कोर्ट सं. 23 जयपुर महानगर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान, चौमू हाउस, जयपुर/संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. उप शासन सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जे.के.लॉन अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. अधीक्षण अभियंता (जिला वृत्त) जन. स्वा. अभि. विभाग गांधीनगर जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. अधिशाषी अभियंता जन स्वा. अभि. विभाग, नगर खण्ड द्वितीय (उत्तर), मिस्त्रीखाना, जयपुर/जन स्वा. अभि. विभाग जिला उपखण्ड द्वितीय जयपुर, आमेर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
19. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
20. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ उप शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Man Mohan Gour
Designation : Senior Deputy
Secretary To Government
Date: 2024.11.05 15:53:45 IST
Reason: Approved

आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	पिता/पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर